बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

संकल्प

संकल्प सं0:- 4801382 / पटना, दिनांक :- 10/11/2025

ग्रा0वि0-R-504/55/2025-Section-14-RDD-RDD(COM No-534471)

निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-953 दिनांक-08.11.2025 द्वारा सहायक निर्वाचक पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, विद्यापतिनगर (समस्तीपुर) को निलंबित करते हुए उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया है ।

निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त पत्र के साथ जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर का पत्रांक-2558/निर्वा० दिनांक-08.11.2025 संलग्न है । उक्त पत्र में प्रतिवेदित किया गया है कि दिनांक-08.11.2025 को मध्याह्न लगभग 12.30 बजे सूचना एवं विडियो प्राप्त होने पर सरायरंजन के केदार संत रामाश्रय विद्यालय, सरायरंजन से लगभग 500 मीटर दूर कुड़े में श्रेडिंग की हुई वी०वी०पैट पर्ची एवं कुछ बिना श्रेडिंग की हुई वी०वी०पैट पर्ची फेकी हुई है । उक्त से संबंधित जानकारी प्राप्त करने पर पता चला की ई०वी०एम० कमिशनिंग के दौरान मॉकपोल से संबंधित पर्चियों की श्रेडिंग करने के उपरांत निस्तार का निर्वाचन आयोग का निदेश है, परंतु इस मामले में संबंधित पदाधिकारियों की लापरवाही प्रतीत होती है । कमिशनिंग में प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों द्वारा अपने कर्तव्य का निर्वहन आयोग के निदेशों के तहत नहीं किया गया है । इस प्रकार उक्त कार्य में संलिप्त सहायक निर्वाचन पदाधिकारियों की लापरवाही प्रमाणित होती है ।

जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर के उपरोक्त अनुशंसा के आलोक में निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्रतिवेदित आरोप की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी । समीक्षोपरांत पाया गया कि विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 जैसे अतिमहत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही एवं निर्वाचन आयोग के आदेश की अवज्ञा बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली-1976 के प्रतिकूल एवं गंभीर प्रकृति के हैं ।

अत: मो० महताब अंसारी (अनुक्रमांक-162132), सहायक निर्वाचक पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, विद्यापतिनगर (समस्तीपुर) को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(1) (क) के आलोक में तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्णय लिया गया है । निलंबन अवधि में श्री अंसारी का मुख्यालय ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना निर्धारित किया जाता है ।

निलम्बन की अवधि में मो० महताब अंसारी को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम- 10 के तहत अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

निलम्बन के आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

10.11.25

(मन्जु प्रसाद)

सरकार के संयुक्त सचिव।

D:\Section-014\Year-2025\Office Order-2025\Notification(2025)-24 (Nelambit).doc

स्पीड पोस्ट/
ई मेल

ज्ञापांकः- 480/382 /ग्रा0वि0 पटना, दिनांक :- 10/11/2025

प्रतिलिपिः-निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, समस्तीपुर/मो० महताब अंसारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, विद्यापतिनगर (समस्तीपुर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10.11.25
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :- 480/382 /ग्रा0वि0 पटना, दिनांक :- 10/11/2025

प्रतिलिपिः- प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा- 03, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

10.11.25
सरकार के संयुक्त सचिव।